



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)
☎: 0141-2716402



क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/25622 जयपुर, दिनांक- 28-10-2020

परिपत्र संशोधित आदेश

साथिन के चयन से संबंधित परिपत्र संशोधन आदेश क्रमांक प.19(1)(6) निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/26652 दिनांक 04.09.2019 के बिन्दु संख्या 1(ix) साथिन मानदेय कार्यकर्ता के चयन हेतु गठित समिति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता -अध्यक्ष
2. संरक्षण अधिकारी, म.अ. अथवा संबंधित ब्लॉक का सी.डी.पी.ओ. -सदस्य
3. संबंधित सुपरवाइजर, म.अ. अथवा महिला पर्यवेक्षक, आई.सी.डी.एस. -सदस्य

नोट:- संबंधित संरक्षण अधिकारी, म.अ. एवं संबंधित सुपरवाइजर, म.अ. का पद रिक्त होने की स्थिति में क्रमशः संबंधित ब्लॉक का सी.डी.पी.ओ. एवं महिला पर्यवेक्षक, आई.सी.डी.एस. समिति के सदस्य रहेंगे।

उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ. का यह उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के 60 दिवस में ग्राम सभा स्तर पर पूर्ण हो जाये। ग्राम सभा स्तर पर 60 दिवस में पूर्ण नहीं होने पर 15 दिवस में उक्त चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जावे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के साथिन चयन प्रकरण भी उक्त समिति द्वारा निस्तारित किये जा सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त

25623-803 महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/25622 जयपुर, दिनांक- 28-10-2020
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला प्रमुख।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
8. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
9. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
11. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
12. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
13. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय महिला अधिकारिता।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता